

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाइ टॉक

जगदीश बनाम रामअवतार

किस्म मुकदमा : अस्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा

237/2025

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
----------	-----------------------------------	--

05.2025

मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र श्री गिरधर सिंह तंवर ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमारे द्वारा मजमून प्रार्थना पत्र इसके साथ संलग्न नकलें राजस्व अभिलेख पर गौर किया गया। एवं प्रथम पक्ष की एकतरफा बहस सूनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होने, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा अपूर्णिय क्षति की संभावना को देखते हुए अप्रार्थीगण को प्रकरण में आगामी पेशी तक आराजी ख0नं0 268 रकबा 0.5311 वाके ग्राम जगतपुरा पटवार हल्का छोरिया तह0 निवाइ में स्थित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण आगामी तारीख पेशी तक नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है यदि अप्रार्थीगण को इस आदेश से कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करें। तलबी अप्रार्थीगण की जरिए रजि0एडि से की जाकर एवं रजि0 एडि पेश नहीं करने पर यह आदेश स्वतः खारिज समझा जायेगा। पत्रावली आगामी दिनांक 23/6/25 को पेश हो

OR
 उपखण्ड अधिकारी
 निवाइ (टॉक)

3230-324/
 26/5/25

17.6
 25

आइ/प्रार्थी श्री इन्द्र ल पं
 ह00 का आवल उलिल नलकी
 पेश होकर निवाइ होके व
 पत्रावली मूल वाद के साथ
 कलक होकर पेश हुई है
 मूल वाद का जज इन्द्र
 कप ह0 निवाइ होके जज है
 निवाइ इन्द्र पत्रावली में इन्द्र
 कोइ कावली कोइला मही

अ.मि.जगदीश
 ID
 [Signature]

होने लगे पत्राचार की शर्त सुचारु
रखा ही है शर्त की पत्राचार
के लिए मुझे कोई नंबर है
जिस पर मैंने लेखन किया है
होकर जोखिल फलाने के
OR

उपखण्ड अधिकारी
त्रिपाई (टोंक)